अनुदान संख्या 36 - प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 36 - DIRECT TAXES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	9025,42,00	9202,35,00	9143,94,33	-58,40,67
पूरक	Supplementary	176,93,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,73,51
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1314,96,00	2370,82,00	2297,25,89	-73,56,11
पूरक	Supplementary	1055,86,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				59,08,77

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹5840.67 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹17693.00 लाख के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से भी कम थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः –

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹5840.67 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grant of ₹17693.00 lakhs obtained in December, 2024 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय और व्यय पर करों का संग्रह	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	879978.00			
पू.	S.	17693.00	896797.49	891555.43	-5242.06
पु.	R.	-873.51			

(I) ₹761.32 लाख का प्रावधान "निदेशन एवं प्रशासन– निरीक्षण" के अंतर्गत इस शीर्ष के अंतर्गत बजट नियंत्रण प्राधिकरण को प्रधान आयकर महानिदेशक (एचआरडी), नई दिल्ली के साथ विलय किए जाने के कारण पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹761.32 lakhs remained wholly unutilized under "Direction and Administration - Inspection" - due to Budget Controlling Authority under this head was merged with Principal Director General of Income Tax (HRD), New Delhi.

(II) "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads: -

(का) "अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" – ₹2427.44 लाख की बचत (₹62.12 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹8537.27 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार, वाहनों को किराए पर लेने, प्रकाशन, कम दौरे, अधिवक्ता शुल्क, पुरस्कार, मजदूरी और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Research, Statistics and Publication" - saving of ₹2427.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8537.27 lakhs including supplementary grant of ₹62.12 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertising and publicity, hiring of vehicles, publications, less tours undertaken, advocate fees, rewards, wages and other administrative expenses.

(खा) "संगठन और प्रबंधन सेवाएं" – ₹3439.82 लाख की बचत (₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹18174.16 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कम दौरे, प्रशिक्षण, वाहनों को किराए पर लेने, पेशेवर सेवाओं और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Organisation and Management Services" - saving of ₹3439.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18174.16 lakhs including supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards allowances, medical reimbursements, less tours undertaken, trainings, hiring of vehicles, professional services, other establishment related

expenses and non-finalisation of some proposals of Central Public Works Department.

(III) "संग्रहण प्रभार– आयकर" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under "Collection Charges-Income Tax" - savings occurred under the following heads: -

(का) "आयकर और संपत्ति कर मामलों के लिए समझौता आयोग" – ₹1993.06 लाख की बचत (₹2957.28 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और किराया दरों और करों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पुरस्कार, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases" - saving of ₹1993.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2957.28 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards rent rates and taxes, medical reimbursements, rewards, less training programmes and other establishment related expenses.

(खा) "प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के आंचलिक लेखा कार्यालय" – ₹1602.41 लाख की बचत (₹68.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹12827.42 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, वेतन, पुरस्कार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत, मुद्रण और प्रकाशन, प्रशिक्षण, स्वच्छता कार्य योजना और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" - saving of ₹1602.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12827.42 lakhs including supplementary grant of ₹68.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards wages, rewards, medical reimbursements, leave travel concession, printing and publications, trainings, swachhta action plan and other establishment related expenses.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹443.33 लाख की बचत हुई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत है।

(IV) Under one head saving of ₹443.33 lakhs occurred constituting 25 percent of the total sanctioned provision.

2(I). उपर्युक्त बचतें – "संग्रहण प्रभार– आयकर– आयुक्त और उनके कार्यालय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई– ₹4484.39 लाख का अधिक व्यय (₹17558.47 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹856510.81 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत, अधिक दौरे करने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने और सदस्यता अंशदान की अधिक संख्या होने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2(I). The above savings were partly offset by excess under - "Collection Charges-Income Tax - Commissioners and their Offices - excess of ₹4484.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹856510.81 lakhs including supplementary grant of ₹17558.47 lakhs) was due to requirement of additional funds towards allowances, leave travel concession, more tours undertaken, clearance of proposals of Central Public Works Department and more number of membership contribution.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹450.59 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत है।

(II) Under one head excess of ₹450.59 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	31201.00	23775.95	23537.28	-238.67
पु.	R.	-7425.05			
मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	81844.00	176430.65	175670.28	-760.37
पू.	S.	105586.00			
पु.	R.	-10999.35			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	18451.00	30966.63	30518.33	-448.30
पु.	R.	12515.63			

(I) ₹59.17 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹59.17 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4075" – "आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX–ग के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण – अचल संपत्ति का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹200.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2024 में ₹5586.00 लाख का पूरक

(II) Under Major Head "4075" - "Acquisition of Immovable Property Under Chapter XX-C of Income Tax Act, 1961 - Acquisition of Immovable Property" - the original provision of ₹200.00 lakhs was

अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5786.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹5685.13 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) संपत्तियों की खरीद, निर्माण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/निष्पादित न किए जाने और कम भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण हुई।

augmented to ₹5786.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5586.00 lakhs in December, 2024. However, there was a saving of ₹5685.13 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalization/non-fructification of proposals towards purchase, construction of properties and less acquisition of lands.

(III) मुख्य शीर्ष "4075" – "निदेशन एवं प्रशासन – संबद्ध कार्यालय" के अंतर्गत ₹81256.30 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2024 में ₹100000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹181256.30 लाख कर दिया गया। तथापि, जो आईटी खरीद, मशीनरी और उपकरणों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा फर्नीचर और फिक्सचर कार्य पूरा न किए जाने के कारण ₹5853.98 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) Under Major Head "4075" - "Direction and Administration - Attached Offices" - the original provision of ₹81256.30 lakhs was augmented to ₹181256.30 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100000.00 lakhs in December, 2024 which, however, remained unutilized to the extent of ₹5853.98 lakhs - due to requirement of less funds towards IT procurements, machinery and equipment and non-completion of furniture and fixture work by Central Public Works Department.

(IV) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण– आयकर विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण और भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹7604.55 लाख की बचत (₹31141.83 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निष्पादन एजेंसी द्वारा निधियों के कम उपयोग किए जाने और विजयवाड़ा में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Acquisition of Land & Construction of Building for Income Tax Department" - saving of ₹7604.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31141.83 lakhs) was due to less utilisation of funds by the executing agency and non-purchase of land for construction of office building at Vijaywada.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees" - under the following heads:-

(I) "तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" – ₹9997.00 लाख का अधिक व्यय (₹3.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(I) "Acquisition of Ready Built Flats"- excess of ₹9997.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3.00 lakhs); and

(II) "आयकर विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण और आवासीय भवन का निर्माण" – ₹2070.33 लाख का अधिक व्यय (₹18448.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) "Acquisition of Land and Construction of Residential Building for Income Tax Department" - excess of ₹2070.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18448.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निष्पादन एजेंसी को अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds by the executing agency.